परिपत्र संख्या–35 /दि0अ0अधि0प्रको0/2019

प्रेषक,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त अधीनस्थ कार्यालयाध्यक्ष,
कारागार विभाग, उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनांकित 06 नवम्बर, 2019

विषय– **"दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम–2016" (THE RIGHT OF PERSONS WITH DISABILITIES ACT-2016) की धारा–23 के अन्तर्गत कारागार विभाग में "शिकायत प्रतितोष अधिकारी" (Grievance Redressal Officer) नियुक्त किये जाने एवं तद्नुसार अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश।**

विषयगत प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित रिट याचिका (सिविल) संख्या–116/98 जस्टिस सुश्री सुनन्दा भण्डारे फाउन्डेशन बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.09.2019 के अनुपालन कराये जाने हेतु शासन के दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग–3 के पत्र संख्या–403/65–3–2019–01/2017टी0सी0, दिनांकित 16 अक्टूबर, 2019 द्वारा उक्त अधिनियम में उल्लिखित समस्त प्राविधानों का पूर्ण अनुपालन कराये जाने के निर्देश कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग–1, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या–1412/22–1–2019–25/97, दिनांक 25.10.2019 के माध्यम से प्राप्त हुये है, जिसके अनुसार **"दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम–2016" (THE RIGHT OF PERSONS WITH DISABILITIES ACT-2016)** की धारा–23 के अन्तर्गत प्रत्येक विभाग में **"शिकायत प्रतितोष अधिकारी" (Grievance Redressal Officer)** नियुक्त किये जाने एवं तद्नुसार दिव्यांगजनों से प्राप्त होने वाली शिकायतों पर प्राथमिकता के आधार पर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2. शासन से प्राप्त उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में कारागार विभाग के अन्तर्गत विभागाध्यक्ष कार्यालय एवं समस्त कार्यालयाध्यक्ष कार्यालयों पर संलग्न तालिका के अनुसार **"शिकायत प्रतितोष अधिकारी" (Grievance Redressal Officer)** एतद्द्वारा नामित किये जाते हैं, साथ ही शासन द्वारा इस सम्बन्ध में निर्धारित प्रारूप की प्रति इस निर्देश से संलग्न की जा रही है कि दिव्यांगजनों से उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली शिकायतों के निस्तारण के सम्बन्ध में प्रत्येक **"शिकायत प्रतितोष अधिकारी"** एक रजिस्टर रखेगें, जिसमें प्राप्त होने वाली प्रत्येक शिकायत को दर्ज किया जायेगा तथा प्रत्येक मामले की नियमानुसार जॉच करके अधिकतम् 02 सप्ताह की अवधि में परिणाम से सम्बन्धित दिव्यांगजन को सूचित किया जायेगा तथा मासिक सूचना निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह की 05 तारीख तक निश्चित रूप से मुख्यालय प्रेषित की जायेगी। इसका समुचित प्रचार एवं प्रसार जन सामान्य के लिए भी कराया जाना सुनिश्चित करें।

"दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम–2016" के अनुपालन के सम्बन्ध में शासन से प्राप्त समस्त अभिलेखीय प्रपत्र/मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांकित 23.09.2019 की छाया–प्रतियाँ सुलभ संदर्भ हेतु संलग्नकर अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु इस निर्देश के साथ प्रेषित की जा रही हैं कि उक्त अधिनियम इण्टरनेट से डाउनलोड करके विधिवत अध्ययन कर, प्रभावी कार्यवाही व अनुपालन सम्यान्तर्गत सुनिश्चत करें।

संलग्नक–यथोपरि

(डा0 शरद) 06/11/2019
अपर महानिरीक्षक कारागार(मुख्यालय),
उत्तर प्रदेश।

—2/.....

पृ0सं0– 35 (i)/दि0शि0प्रको0/2019 लखनऊ : दिनांकित 06 नवम्बर, 2019

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

(1) विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, दिव्यागजन सशक्तीकरण अनुभाग–3, लखनऊ को शासकीय पत्र संख्या–403/65–3–2019–01/2017टी0सी0, दिनांकित 16 अक्टूबर, 2019 के सन्दर्भ में।

(2) उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग–1, लखनऊ को शासकीय पत्र संख्या–1412/22–1–2019–25/97, दिनांक 25.10.2019 के सन्दर्भ में।

(3) राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन, उत्तर प्रदेश, जे0बी0सी0टी0 कम्पाउण्ड, विद्या भवन कैम्पस, निकट राजकीय इण्टर कालेज, निशातगंज, लखनऊ– 226007

(4) समस्त अधिकारीगण, कारागार मुख्यालय।

(5) श्री सै0 नसीम अहमद, अपर सांख्यकीय अधिकारी/"शिकायत प्रतितोष अधिकारी" दिव्यांगजन मुख्यालय।

(6) समस्त वरिष्ठ प्रशासनिक/प्रशासनिक अधिकारीगण, समस्त अनुभाग–मुख्यालय।

(7) प्रशासनिक अधिकारी, जन सूचना अनुभाग, मुख्यालय को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि अपने अनुभाग में इस कार्य हेतु नामित कर, शिकायतों के सम्बंध में अनुपालन सुनिश्चित करायें।

(8) गार्ड फाइल हेतु।

संलग्नक–यथोक्त।

06/11/2019

(डा0 शरद)
अपर महानिरीक्षक कारागार(मुख्यालय),
उत्तर प्रदेश।